…यालय उपखण्ड अधिकारी अरनोद जिला प्रतापगढ राज.

निर्णय बाइजलाल श्री प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.)पीठासीन अधिकारी

प्रकरण स. 5/20 दायर दिनांक 11.02.2020

अनवान

1.राजकुमार पिता खातु मीणा निवासी प्रतापपूरा

2.चन्द्र प्रकाश पिता खातु (खातीया) मीणा नि.प्रतापपूरा

3.धुरालाल पिता खातु(खातीया) मीणा नि.प्रतापपूरा

प्रार्थीगण

बनाम

1.कचरू पिता खातीया मीणा नि. प्रतापपूरा

2.प्रेमशंकर पिता खातीया मीणा नि. प्रतापपूरा

3.लक्ष्मण पिता खातीया मीणा नि. प्रतापपूरा

4.मोहन पिता खातीया मीणा नि. प्रतापपूरा

5.काली बेवा खातीया मीणा नि. प्रतापपूरा

6.तहसीलदार अरनोद

विपक्षीगण

उपस्थिति–विद्ववान अधिवक्ता श्री ईश्वर चोधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक 2.3.2021

–:निर्णयः–

सक्षेंप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम प्रतापपूरा पटवार हल्का हिगंलाट में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स. 1 से 5 की संयुक्त आराजीयात खाता स. 13 के आ. न. 10 रकबा 0.56 है. आ.न.60 रकबा 0.51 है. आ.न.201 रकबा 0.84 है. आ.न.403 रकबा 1.20 है. आ.न.405रकबा 0.51 है. आ.न.406 रकबा 0.02 है. आ.न.516 रकबा 0.01 है. आ.न.517 रकबा 1.66 है. आ.न.518 रकबा 0.02 है. आ.न.560 रकबा 0.34 है. आ.न.534 रकबा 0.09 है. कुल किता 11 कुल रकबा 5.78 है. होकर अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीगण का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड में राजकुमार के बजाय गुडिया, चन्द्र प्रकाश के बजाय चन्द्र एवे धुरालाल के बजाय धुला दर्ज रिकार्ड हो गया है। प्रार्थी राजकुमार क अन्य सरकारी रिकार्ड आधार कार्ड राशन कार्ड परिचय पत्र इत्यादि में राजकमार ही है। आयका कार्ड मार्क शीट एवं प्रार्थी चन्द्र प्रकाश व धुरालाल के सरकारी रिकार्ड आधार कार्ड इत्यादि में चन्द्रप्रकाश एवं धुरा लाल ही है। प्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड में गलत नाम गुडीया चन्द्र एवं धुरा होने से सरकारी गैर सरकारी योजनाओ का बैंक आदि ऋण लोन में काफी

उपखण्ड अधिकारी अरनोद.

...ा का समना करना पडता है। अतः न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार का होने से ...ग कमवार गुडीया के बजाय राजकुमार चन्दु के बजाय चन्द्रप्रकाश,धुरा के बजाय ...लाल पिता खातु(खातीया) राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण दिनांक 12.02.2021 एवं 26.02.2021 उपस्थित हुए। जिनके संयुक्त रूप से बयान लेख बद्व किये गये। तहसीलदार अरनोद को मोका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस समायत की । दिनांक 2.03.2021 को तहसीलदार अरनोद से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शा.फा. की गई। पत्रावली का अवलोन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। अप्रार्थीगण के बयान अनुसार प्रार्थीगणका नाम राजस्व रिकार्ड गलत होना जाहिर किया तथा इनके बचपन के बोलता नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया जो शुद्व किया जाना सही बताया है।इनके राजस्व रिकार्ड में नाम गलत होने से सरकारी गेर सरकारी बैंक से लोन इत्यादी लेने में काफी समस्याओ का समना करना पडता है।दस्तावेजान के अनुसार यथा– परिचय पत्र राशन कार्ड इत्यादि एवं तीसलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगणों का नाम राजकुमार,चन्द्रप्रकाश एवं धुरालाल ही है। अतः प्रार्थीगण का राजस्व रिकार्ड में गुडिया के बजाय राजकुमार, चन्दु के बजाय चन्द्रप्रकाश, धुरा के बजाय धुरालाल किये जाने का आदेश किया जावें।

कियात्मक आदेश

अतः तहसीलदार अरनोद की रिपोर्ट प्रार्थीगण के दस्तावेज परिचय पत्र राशन कार्ड,आधार कार्ड प्रार्थीगण का प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण का नाम गुडीया के बजाय राजकुमार उर्फ गुडीया ,चन्द्रप्रकाश उर्फ चन्दु एवं धुरालाल उर्फ धुरा पिता खातु जी (खातीया) जाति मीणा राजस्व रिकार्ड में किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार अरनोद को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद की कर पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
अरनोद,